भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2805

जिसका उत्तर 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

पुरानी नहरों की सफाई

2805. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल सकना सुनिश्चित करने के लिए पुरानी नहरों की सफाई कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब में ऊपरी बारी दोआब नहर (यूबीडीसी) की सफाई हेतु कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क): जल राज्य का विषय होने के कारण पुरानी नहरों की साफ- सफाई सहित उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। इस संबंध में भारत सरकार की भूमिका तकनीकी सहायता प्रदान करने और कतिपय मामलों में सरकार की मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय द्वारा चिन्हित मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) के कार्य हेतु आंशिक वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि, पुरानी नहरों की साफ-सफाई हेतु आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के कार्य को इस मंत्रालय की किसी भी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

(ख): पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि सिंचाई प्रयोजनों के संबंध में जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार रबी और खरीफ सीजन से पहले यूबीडीसी प्रणाली सहित राज्य में नहरों की वर्ष में दो बार सफाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा यह भी बताया गया है कि वर्ष 2024 के दौरान, आरडी 11000 से 57000 तक मेन लाइन यूबीडीसी की सफाई की जा चुकी है। इसके अलावा, 2024 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत आरडी 11000 से 39992 तक मेन लाइन यूबीडीसी के किनारों की सफाई की भी जानकारी दी गई है।

पंजाब सरकार ने यह भी बताया है कि इन नहरों के सुचारू संचालन हेतु मनरेगा श्रमिकों के माध्यम से सहायक नदी/छोटी नदियों सहित नहरों की सफाई के संबंध में भावी प्रस्तावों को प्रत्येक वर्ष प्रस्तावित किया जाता है।

*****